

सेवा में

श्री आदेश कुमार,  
पूर्वी जिला मंडवली,  
फाजलपुर, दिल्ली-110092

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन के बारे में।

महोदय,

दिनांक 25.01.2014 के आर टी आई आवेदन (आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय के माध्यम से यू टी एस-1 डेस्क, गृह मंत्रालय में 04.03.2014 को प्राप्त) के संदर्भ में विन्दु 11 से 14 के बारे में विन्दु-वार सूचना निम्नानुसार है:-

- विन्दु 11 - 2010 तथा 2012 के आई ए एस/आई पी एस अधिकारियों की सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है।
- विन्दु 12 - अधिकारियों की सूची संलग्न है - अनुलग्नक-II।
- विन्दु 13 - मांगी गई सूचना संलग्न है - अनुलग्नक-III।
- विन्दु 14 - सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि रखा नहीं जाती है।

शेष विन्दुओं पर सूचना यू टी प्रभाग के 'सेवाएं' विंग में नहीं रखी जाती है।


- प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम निम्नानुसार है :-

श्री आई.एस. चहल,  
संयुक्त सचिव (यू टी),  
गृह मंत्रालय,  
गॉथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001


संलग्नक- यथोपरि।


  
(अनुज शर्मा)  
निदेशक एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
दूरभाष: 23092436

प्रति प्रेषित :-

 एस. सामंत, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, गॉथ ब्लॉक, नई दिल्ली- शेष विन्दुओं का उत्तर आवेदक को सीधे भेजा जाए।

- श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लोक सूचना अधिकारी, स्थापना: पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - शेष विन्दुओं का उत्तर आवेदक को सीधे भेजा जाए।

  
(अनुज शर्मा)  
निदेशक एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
दूरभाष: 23092436

Issued w/jc. Enclosure  
Date.. 26/3/14  
Sign.....



सूचना

जन सूचना अधिकारी  
पूर्वी जिला पुलिस कार्यालय  
महावेली काजलपुर दि- 92

PIO/East Distt. Delhi  
S.L. No. 11/1/14  
Date 27/1/14

विषय:- RTI Act - 2005 के अन्तर्गत आवेदन - पत्र।

1 -> INS. A.K. SINGH, DIU में निरीक्षक के पद पर तैनात होने के कारण अपने से अधीनस्थ किसी भी पद के कर्मचारी को अभी भी बिना बजट पूर्व लिखित सूचना के बिना इसी कार्यालय में ही बुलाने/बुलवाने का अधिकार है या नहीं पूर्ण जानकारी दी जाये।

2 -> INS. A.K. SINGH, DIU में तैनात हैं और दि- 15/1/14 को शिकायतकर्ता आदेश कुमार जिसकी शिकायत सं- 500 दि- 15/1/14 जनरल डायरी, पूर्वी जिला को प्राप्त करायी गयी उसमें INS. A.K. SINGH ने शिकायतकर्ता MTS आदेश कुमार को अपने कार्यालय के कैबिन में बुलाकर जो INS. A.K. SINGH के द्वारा डाली गयी RTI जिसमें INS. A.K. SINGH ने अपने वारेष्ठ अधिकारियों की पूर्ण सम्पत्ति की जानकारी मांग रखी है (के बारे में कहा कि मैं उपरोक्त RTI के मामले में कुछ फायदा हूँगा और तैरे रिक्तक F.I.R दर्ज करावडूँगा) इस RTI की प्रतिलिपि दी जाये जो INS. A.K. SINGH ने डाली थी तथा वर्ष 2013 के किस माह व दिनांक तथा उसका डायरी नंबर सहित पूर्ण जानकारी दी जाये।

3 -> INS. A.K. SINGH के द्वारा दि- 15/1/14 के बुलाकर मेरे जो लिखित में थे :- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, -> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, व R.I.O, PIO उनका उन्हीने मेरे से सख्त कर नियम के तहत उपरोक्त जांच की इस निम्न जो प्रति व उपरोक्त लिखित के नम्बरों का पैज फिलवाये व सम्पूर्ण पैज सहित जानकारी दी जाये।

4 -> INS. A.K. SINGH ने जो मुझे अपने कैबिन में बुलाकर समय 11:30 बजे घात से 12:15 राय तक प्रहताप की व उस दौरान उन्हीने INS. VIJAY NAGAR जी से अपने ही फोन से बात की उसकी CDR रिकॉर्ड प्रकार से निकलवायी जा सकती है व इस वक्तों और यदि INS. A.K. SINGH के द्वारा की गयी अनऑफिशियली (UNOFFICIALY) कार्यवाही को उनका पद निरीक्षक का है और मेरा पद MTS है इस कारण उनकी CDR को निकलवाने से मना किया जा सकता है इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

5 -> INS. A.K. SINGH ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर समय 11:30 बजे घात से 12:15 बजे राय तक जो प्रहताप की उस दौरान जी मेरे फोन व उनके फोन को सख्त कर एक ही जगह पर थी उसकी CDR व लोकेशन का पता लगाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

5-6 → INS. A.K. SINGH को पद पर नियुक्त हुए हैं और तैनाती उसके साथ कहां-कहां पर हुई है और उन्होंने उपरोक्त प्रकार के विज्ञापनों के विकास इस प्रकार से (उपरोक्त) की तरह झूठी F.I.R दर्ज कराने की-दामकियाँ दी हैं व विज्ञापन शैली के विकास अपने कार्यकाल के दौरान झूठी F.I.R दर्ज करवायी है उनकी पूर्ण जानकारी दी जाये।

5-7 → INS. A.K. SINGH ने जो अपने करिब अधिकारियों के विकास जो RTI वर्ष 2013 में जाली है (जिसके बारे में उन्होंने जुलाकर बताया व दिखाई थी) व RTI उन्होंने अपने पद SHO थाना-कृष्णा नगर के पद से हटने के कारण गृहसे या किसी अन्य कारण से जाली थी तो अब मुझे IAS-आदेश कुमार को किस वजह से फांसा रहे हैं उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी जाये।

5-8 → INS. A.K. SINGH ने मुझे जुलाकर जो शब्द कहे कि मैंने बहुत जांच की है और बहुत सारे जांच के कोर्स किये हैं उनमें से किस कोर्स में उपरोक्त प्रकार से अनप्राप्तियली जुलाकर व पिरिवत में सिखाई के नमूने लेने का उपरोक्त तरीका सिखाया जाता है उसकी प्रतिलिपि दी जाये।

5-9 → INS. A.K. SINGH के पद व उच्च पद पर आसीन होने तथा उसके करिब अधिकारियों के सीधे सम्पर्क में होने के कारण वह कभी भी किसी भी अधिकतर कर्मचारियों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्होंने थाना-कृष्णा नगर के SHO के पद पर तैनाती के दौरान कितने कर्मचारियों की विभागीय जांच व S.O.N तथा शैतलीर दिल्लीयी उसकी संख्या पदनुसार जानकारी प्रदान की जाये।

5-10 → INS. A.K. SINGH के द्वारा वर्ष 2013 में कुल कितनी RTI Act-2005 के तहत आवेदन पत्र दिये उनकी सं व दिनांक सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये।

5-11 → गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा बेंच-2010 को श्यामी व भारतीय पुलिस सेवा बेंच-2010 व भारतीय प्रशासनिक सेवा के बेंच-2012 में कुल कितने अधिकारी AGMUT केंद्र में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके नाम व जाति तथा ईकनुसार जानकारी प्रदान की जाये।

5-12 → वर्तमान में कुल I.P.S अधिकारी जो कि AGMUT केंद्र के ही हैं और उनकी तैनाती दिल्ली से बाहर है उनकी कुल संख्या सहित स्टेट व UT की संख्या व उनका पद सहित पूर्ण जानकारी दी जाये।

5-13 → AGMUT केंद्र के I.P.S अधिकारी जिनकी सेवा दिल्ली से बाहर में 3 वर्ष व उससे अधिक हो गये हैं उनके नाम, बेंच व जाने की तिथि सहित जानकारी प्रदान की जाये।

5-14 → AGMUT केंद्र के I.P.S व I.A.S तथा I.A.S व I.A.S

दि. 15/11/15  
सेवा में,

श्रीमान अमरकुमार जी,  
हरी जिला पुलिस कार्यालय  
महावती काजलपुर दि. 92

कार्यालय नं. 15/11/15  
दिनांक 15/11/15

विषय :- This A.K. SIMON के द्वारा प्रेषित की उक्त विभाग RTI की प्रतिक्रिया  
पर जो कि A.K. SIMON के नाम से उक्तकी FIR प्रेषित की विभाग  
कार्यालय में हुई थी केस में जांचने की हमकी ओर बिना किसी कारण  
के DIU ऑफिस में बुलाकर बुलाता करने के संदर्भ में विनम्र है।

श्रीमान जी,

श्रीमान निवेदन है कि मैं 17/11/15 को उक्त प्रकरण में 15/11/15 ऑफिस  
महावती काजलपुर दि. 92 में DIU कार्यालय के पास अपनी 15/11/15 को अपनी व स्वामी  
की मरणांत इच्छा बनवा रहा था लेकिन LTC भंडा ले सके लकी लकी पर इस  
A.K. SIMON साहब मिले और मुझे बुलाकर अपने DIU ऑफिस के कार्यालय में  
ले गये और वही से बोले कि मैं मुझे अब बताऊँ कि मैं किस विभाग के  
कार्यालयों के विभाग RTI गली जाती है और बोले कि जो प्रेषित RTI में  
नाम ले जाती है कि (शर्मा अमरकुमार की अर्थात् वन अर्थात् और दीज  
के विषय में अर्थात् व अर्थात् अर्थात् की जानकारी मंगी गई है जबकि उस RTI  
में कि मुझे नहीं मता है इस A.K. SIMON साहब से पता नहीं कहाँ से विभाग  
पर मुझे मिले और जब कि अब मुझे मुझे RTI के नाम से ले विभाग  
FIR दर्ज करने की हमकी सी।

UNOFFICIALLY (अनऑफिशियली) में ही ऑफिस के तिसर वहाले केपर के  
मुझे की विचार (WRITING) के नमूने तिसर और कुछ देर बाद में  
अनमे ही 15/11/15 काजलपुर साहब के वीन दिया समय मी 11:30 बजे के  
15/11/15 के वीन में और नाम साहब के वीन पर कहा कि मैं इस के विभाग  
(कहाँ) पर फर् करके कार्यालयी मार कर रहा हूँ कि मैं आपकी वीन  
में और मुझे अपने व मुझे जान समझाने लगे।

नोट :- मुझे व मुझे विचार के विभाग किसी भी प्रकार की अधिक अनधिक अनधिक  
कहा है और कि विभाग की सही कार्यवाही होनी है तो उक्त तिसर वहाले  
A.K. SIMON साहब और उनके वहाले व अन्य अधिकारी विभाग की

समझें :-

- ① - किन सब उक्तकी वहाले - अमे
- ② - किन सब उक्तकी वहाले - अमे
- ③ - किन सब उक्तकी वहाले - अमे
- ④ - किन सब उक्तकी वहाले - अमे

15/11/15

सेवा में :-

श्रीमान अमरकुमार जी,  
हरी जिला पुलिस कार्यालय  
महावती काजलपुर दि. 92



जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस में मंगानी को । जब के लक्षण को । जब से आधिकारिक कार्यकारण करने से पहले से बाहर हलाने को कर दिये जाये जब 2012-2014 जनवरी तक को आदेशों सहित जानकारी उपलब्ध करायी जाये ।

10-15 → दिल्ली पुलिस द्वारा NTS स्टाफ के लिए किसी प्रकार की पदीन्नति हेतु प्रक्रिया जारी है जो उसको जानकारी उपलब्ध करायी जाये ।

16 → RPA पत्र सं. 24/24/स्पेशल/आईडी-1464/2013/34/आर वी अर/स्थापना/पु. भु. फिनांक - 13/11/14 (जो कि संलग्न है) उस पर डे - शर्मा - 4 से दी गई रिक्तियों को भरने की क्या प्रक्रिया चल रही है उसकी जानकारी दी जाये ।

जो: उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर केवल हिंदी भाषा में ही दिए जाये ।

→ मुझे व मेरे परिवार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आर्थिक मानसिक उत्पीड़न होता है जो मेरे खिलाफ चोर सूची कार्यवाही होती है जो उसके लिए INS. A.K. SINGH व और उनके सहयोगी व उच्च आधिकारिक अधिकारियों ।

संलग्न प्रतियां :-

  
 आनंद कुमार

- (1) शिक्षा पत्र की प्रतिलिपि ।
- (2) वापसी की नकल स्पष्ट की प्रतिलिपि ।
- (3) श्वानगी की नकल स्पष्ट की प्रतिलिपि ।
- (4) डे - शर्मा - 16 के फिनांक आदेश को ।

आदेश कुमार M.A, LL.B  
 पूर्व दिल्ली पुलिस  
 चारमल, फरवरी 2014

प्रतिलिपि ।  
 प्रतिलिपि को :-

- (1) केन्द्रीय सूचना आयोग
- (2) आयुक्त पुलिस, दिल्ली
- (3) केन्द्रीय न्यायाधीश